रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 116] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 1974/फाल्गुन 23, 1895
No. 116] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 1974/PHALGUNA 23, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Banking)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March 1974

S.O. 166(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Deposit Insurance Corporation (Amendment) Act, 1968 (56 of 1968), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 1974, as the day on which section 7 of the said Act shall come into force in the Union territory of Delhi.

[No. F. 5/1/73-BO.I]

D. M. SUKTHANKAR, Director.

वित्त मंत्रालय
(बैंकिंग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1974

का० आ० 166 (अ)—केन्द्रीय सरकार निक्षेप बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 56) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 अप्रैल, 1974 को उस तारीख के रूप में नियुक्त करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 7 दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में प्रवृत्त होगी।

[सं० एफ 5/1/73-बी ओ, I]

डी० एम० सुकथांकर, निदेशक।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974